न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, पोसालिया, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही
2. श्री भंवर लाल पुत्र चुन्नीलाल जी, जाति-माली, निवासी- पोसालिया, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्या: 93/2017

''निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से
2. अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव, अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 11 नवम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी भवंर लाल पुत्र चुन्नीलाल जी, जाति- माली, निवासी- पोसालिया के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 66 दिनांक 06.4.2016 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर को अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा प्रेषित शिकायत की जांच पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज द्वारा की गई। जांच में ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 66 दिनांक 06.4.2016 अनियमित जारी किया जाना पाया गया। श्री भंवर लाल माली पुत्र चुन्नीलाल माली, निवासी- पोसालिया को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या- 2 द्वारा ग्राम पंचायत, पोसालिया को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08.2.2016 व शपथ पत्र दिनांक 24.2.2016 में शपथ पत्र में वर्णित भूमि/भवन का पूर्व में पट्टा बना हुआ नही होना बताया है। प्रकरण की जांच करने पर उक्त भूमि/भवन का पट्टा संख्या 50 दिनांक 17.4.1963 मिसल संख्या 42/1962-63 दायर दिनांक 13.1.1963 का श्रीमती भूरीबाई पत्नी वर्जीगजी, जाति- माली, निवासी- पोसालिया के नाम बना होना व उक्त पट्टा भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 31.8.1978 को अप्रार्थी संख्या-2 के पिता द्वारा क्रय किया जाना पाया गया तथा रिलीज डीड दिनांक 25.5.2005 से अप्रार्थी संख्या-2 को हक मिला। अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा ग्राम पंचायत को झूठा व मनगंढत आवेदन व शपथ पत्र देकर ग्राम पंचायत, पोसालिया से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा प्राप्त

....पेज दो पर

किया है, जबकि उक्त भूमि/भवन का पूर्व में पट्टा संख्या 50 दिनांक 17.4.1963 को बना हुआ है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल उपस्थित हुये व अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन सिंह राव उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या-2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 08.11.2019 को प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण प्रकरण में अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा पट्टा संख्या 66 दिनांक 06.4.2016 को अप्रार्थी संख्या-2 के शपथ पत्र व पुराने कब्जे के आधार पर जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत, पोसालिया में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त पट्टा जारी करवाया है, जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के भवन/भूमि का पूर्व में पट्टा संख्या 50 दिनांक 17.4.1963 को श्रीमती भूरी बाई पत्नी वर्जीगजी, जाति- माली, निवासी- पोसालिया के नाम से बना हुआ है एवं उक्त पट्टा संख्या 50 की भूमि को अप्रार्थी संख्या-2 के पिता ने उक्त श्रीमती भूरी बाई से पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 506 दिनांक 31.8.1978 को क्रय की गई है तथा उक्त पट्टा संख्या 50 की क्रय की गई भूमि को अप्रार्थी संख्या-2 के भाईयों व माता ने अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रीलिज डीड दिनांक 25.5.2005 से अप्रार्थी संख्या-2 को दी है, इसलिये अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा जारी पट्टा संख्या 66 दिनांक 06.4.2016 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा विधिवत पट्टा जारी किया गया है। यदि पहले अप्रार्थी संख्या-2 के नाम से कोई पट्टा बना हुआ होता तो ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा प्रस्तुत किया जाता लेकिन ग्राम पंचायत रेकर्ड में पूर्व का ऐसा कोई पट्टा नही है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने आवासीय गृह का विनियतिकरण करते हुए अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पट्टा संख्या 66 दिनांक 06.4.2016 को जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाया गया

.....पेज तीन पर

कि अप्रार्थी संख्या-2 ने ग्राम पंचायत, पोसालिया में आवासीय गृह/भूमि का पट्टा बनाने हेतु दिनांक 08.2.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही, अप्रार्थी संख्या-2 ने दिनांक 24.2.2016 का एक शपथ पत्र इस आशय का ग्राम पंचायत, पोसालिया में प्रस्तुत किया कि मेरा पुश्तैनी कब्जा शुदा मकान ग्राम पोसालिया में स्थित है जिसमें मैं मेरे परिवार सहित निवास कर रहा हूँ, उक्त मकान पर मेरा स्वयं का ही कब्जा एवं हक है, अन्य किसी का कोई हक नही है, उक्त मकान (भूमि) का पट्टा मुझे, मेरे पिता, दादा, मेरे परिवार के सदस्य अथवा अन्य किसी को पंचायत द्वारा जारी किया हुआ नही है।

अप्रार्थी संख्या-2 के उक्त आवेदन व शपथ पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत, पोसालिया ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के तहत अग्रिम कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में पट्टा संख्या 66 दिनांक 06.4.2016 को जारी किया है। जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज की जांच रिपोर्ट की प्रति व पंजीकृत रिलीज डीड (जो फूलाराम, प्रभूराराम, घीसी पिसरान श्री चुन्नीलाल जी, श्रीमती रतनी पत्नी चुन्नीलाल जी, निवासी- पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में निष्पादित की गई है) दिनांक 25.5.2005 की छाया प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जिस मकान/भूमि का पट्टा जारी किया गया है उस भूमि का पूर्व में ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा श्रीमती भूरीबाई बेवा वजींगजी, जाति- माली, निवासी- पोसालिया के पक्ष में पट्टा दिनांक 17.4.1963 को जारी किया हुआ है एवं उक्त पट्टा दिनांक 17.4.1963 की भूमि को श्रीमती भूरीबाई पत्नि वजींगजी, जाति- माली, निवासी- पोसालिया से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 31.8.1978 के द्वारा श्री चुन्नीलाल पुत्र जेताजी माली ने क्रय की थी। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जिस मकान/भूमि का पट्टा संख्या 66 दिनांक 06.4.2016 को जारी किया गया है उस मकान/भूमि का पूर्व में ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा पट्टा दिनांक 17.4.1963 को श्रीमती भूरीबाई पत्नी वजींगजी, जाति- माली, निवासी- पोसालिया के पक्ष में जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में, पट्टेशुदा भूमि का पुनः पट्टा जारी नही किया जा सकता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पोसालिया द्वारा अप्रार्थी संख्या- 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 66 दिनांक 06.4.2016 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2019.11.13 13:10:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: